नदी–प्रदूषण : कारण एवं निवारण

श्याम शंकर उपाध्याय
पूर्व जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
पूर्व विधिक परामर्शदाता मा0 राज्यपाल
उत्तर प्रदेश, राजभवन
लखनऊ।
मो0- 9453048988
ई-मेलः ssupadhyay28@gmail.com

नदियों एवं जलाशयों के प्रदूषण की समस्या हर बीतते वर्ष के साथ भयावह होती जा रही है । जल को जीवन का पर्याय माना जाता है, इसीलिए 'जल ही जीवन है' कहा जाता है । पृथ्वी पर मानवों सहित जीव–जन्तुओं एवं वनस्पतियों का अस्तित्व जल के ही कारण है । प्रदूषित जल से मरने वालों की संख्या किसी भी घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या से कहीं अधिक है । विभिन्न प्रकार के उद्योगों एवं कारखानों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषणों व रसायनों से गंगा सहित समस्त नदियॉं, जलाशय एवं भू–गर्भ संचित जल लगातार प्रदूषित होकर अपेय व अनुपयुक्त होते जा रहे हैं । सहस्रों वर्षों से चले आ रहे कतिपय धार्मिक विश्वास व सामाजिक मान्यताएं, अपूर्ण व कमजोर विधियॉं, उपलब्ध विधिक प्रावधानों के सम्यक् अनुपालन का अभाव, जन–मानस में नदियों आदि की स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभाव आदि बहुत से ऐसे कारण विद्यमान हैं जिनका निदान किया जाना एवं प्रचलित धार्मिक व सामाजिक मान्यताओं का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है । समस्या के समाधान हेतु व्यापक जन–जागरण किया जाना भी आवश्यक है । नदी व जल प्रदूषण के निवारण हेतु चिन्हित कतिपय प्रमुख कारणों एवं उनके समाधान के उपायों का यहां उल्लेख किया जा रहा है :

1. ग्राम : परियर, तहसील : सदर, जनपद :उन्नाव (उ0प्र0) में दिनांक 13.01.2015 को गंगा नदी में 100 से भी अधिक मानव शव उतराते हुए देखे गये जिनकी व्यापक कवरेज मीडिया में हुई है । इतनी अधिक संख्या में गंगा नदी में पाये गये शवों के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रश्न विचार योग्य हैं हिन्दू धर्म की मान्यता के अनुसार अविवाहित व्यक्तियों के शव गंगा नदी सहित अन्य स्थानीय नदियों में प्रवाहित कर दिये जाते हैं ।

2. मृत बच्चों/अवयस्क व्यक्तियों के शव भी जलाये नहीं जाते हैं अपितु गंगा नदी व अन्य स्थानीय नदियों में प्रवाहित कर दिये जाते हैं ।

3. हिन्दू धर्म की कुछ जातियों में महिलाओं के शव नहीं जलाते हैं अपितु नदियों में प्रवाहित कर दिये जाते हैं ।

4. ऐसे गरीब व्यक्ति जो लकड़ी आदि का व्यय नहीं वहन कर पाते हैं अपने मृतकों के शव नदियों में प्रवाहित कर देते हैं ।

5. हिन्दुओं में बहुत से सम्पन्न व्यक्ति भी अपनी सदियों पुरानी परम्परा के अनुसार अपने मृतकों के शवों को इस विश्वास के साथ गंगा जैसी बड़ी व पवित्र मानी जाने वाली नदियों में प्रवाहित कर देते हैं कि इससे मृत व्यक्ति की आत्मा को पुण्य/शान्ति प्राप्त हो सकेगी ।

6. बहुत से स्वामी व सन्यासियों के शव चिता पर नहीं जलाये जाते हैं अपितु उन्हें लकड़ी के बाक्स में रखकर नदियों में जल–समाधि दे दी जाती है ।

7. हिन्दू धर्म की मान्यता के अनुसार चिता पर जलाये जाने वाले शवों का दशमांश बचा कर इस विश्वास से नदियों में डाल दिया जाता है ताकि मछली व कछुए आदि जल–जन्तुओं द्वारा उसे खा लिया जावे और इससे मृत आत्मा को पुण्य/शान्ति प्राप्त होती है ।

8. पंचक काल में मरे हुए हिन्दुओं में से कई लोग अपने मृतक का शव चिता पर नहीं जलाते हैं अपितु गंगा जैसी पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देते हैं ।

9. मृत हिन्दुओं के शवों को गंगा आदि जैसी पवित्र नदियों के तट पर चिता पर जलाये जाने के बाद अवशिष्ट राख व लकड़ी आदि भी गंगा में प्रवाहित कर दी जाती है जिससे जल प्रदूषित होता है ।

10. सर्प–दंश से मरे हुए हिन्दुओं के शवों को चिता पर नहीं जलाया जाता है अपितु नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है ।

11. मृत हिन्दुओं के शवों के अलावॉ लोग अपने पालतू जानवरों जैसे : कुत्ता व बिल्ली आदि के शवों को भी इस विश्वास के साथ गंगा जैसी पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देते हैं कि इससे मृत पालतू पशु की आत्मा को पुण्य/शान्ति प्राप्त हो सकेगी ।

12. कई महानगर जहां से होकर गंगा बहती है में श्मशान घाटों के पास इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस से भी शव जलाये जाते हैं परन्तु इसे बहुत कम लोग प्राथमिकता देते हैं

क्योंकि चली आ रही परम्परा व विश्वास के कारण लकड़ी की चिता पर शव को जलाया जाना अपेक्षाकृत अधिक धर्मसम्मत व शास्त्रसम्मत माना जाता है ।

13. शवों को इलेक्ट्रिकल फर्नेस पर जलाये जाने के लिए लगायी गयी इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस बहुधा खराब रहती हैं अथवा बिजली के अभाव में काम नहीं करती हैं जिसके कारण कम खर्च में शवों को जलाने की आशा में आने वाले लोग भी अपने मृतकों के शव को गंगा जैसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं ।

14. लावारिस में पाई गई लाशों को स्वयं पुलिस जनों द्वारा प्रायः आस–पास की नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है ।

15. दुर्घटना आदि में मृत/लावारिस शवों के निस्तारण के लिए सरकारों की ओर से दी जाने वाली धनराशि लकड़ी की चिता पर जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है और बहुधा पुलिसजन ऐसे शवों को नदियों में विशेष कर नदियों पर बने पुल के ऊपर से नदी में डाल देते हैं ।

16. कई बड़े महानगरों में ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं समाज सेवा की दृष्टि से उपलब्ध हैं जो मृतक की धार्मिक परम्परा के अनुसार शवों के निस्तारण में आने वाले सम्पूर्ण व्यय को वहन करती हैं और उनका अन्तिम संस्कार स्वयं सुनिश्चित करती हैं परन्तु अज्ञानतावश एवं जागरूकता के अभाव में ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता शवों को जलाने आदि में बहुत से गरीब लोग नहीं ले पाते हैं और शव को नदियों में प्रवाहित कर देते हैं ।

17. शवों को नदियों में डालने के बाद कई बार शव उथले पानी में नदियों के किनारे बह कर आ जाते हैं जिन्हें मांसभोजी पशु जैसे कुत्ते व सियार आदि नोच–नोच कर खा जाते हैं जो मानव गरिमा के पूरी तरह विपरीत है ।

18. भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवन जीने के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार समाहित है जिसमें मृत्यु के उपरान्त शव को गरिमापूर्ण ढंग से निस्तारित किये जाने अथवा अन्तिम संस्कार का भी अधिकार समाहित है । परन्तु नदियों में शव प्रवाहित कर देने से और तदुपरान्त शव को मांसभोजी पशुओं जैसे कुत्ता आदि द्वारा घसीटने व नोच–नोच कर खाने से मानव गरिमा का उल्लंघन होता है ।

19. मृत्यु उपरान्त मानव शव को मांसभोजी जानवरों द्वारा घसीटा जाना व नोच–नोच कर खाया जाना मानव गरिमा के न केवल विरुद्ध है अपितु संसद द्वारा बनाये गये **''मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993''** की भावना व प्रावधानों के भी विरुद्ध है ।

20. नदियों में शव प्रवाहित करके जल को अपेय व प्रदूषित करना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की कोटि में आता है ।

21. नदियों में शव प्रवाहित करके जल को अपेय व प्रदूषित करना जल (प्रदूषण का निषेध व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की कोटि में आता है ।

22. नदियों में शव प्रवाहित करके जल को अपेय व प्रदूषित करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 277 सपठित धारा 290 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की कोटि में आता है।

23. नदियों में शव प्रवाहित करके जन सामान्य के स्वास्थ्य को हानि पहुॅचाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कवर नहीं होता है ।

24. सदियों से नदियों में मानव शवों को प्रवाहित किये जाने की परम्परा को रोकने में जन सामान्य को जागरूक करने और जन–चेतना का प्रसार करने में धर्माचार्यों, पुरोहितों, समाजसेवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पर्यावरण प्रेमियों आदि की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है ।

25. नदियों में शव प्रवाहित किये जाने के विरुद्ध तमाम सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर अपना अमूल्य योगदान दिया जा सकता है ।

26. संसद और राज्यों के विधान मण्डल उपयुक्त कानून बनाकर नदियों में शव आदि प्रवाहित करके उन्हें अपेय व प्रदूषित करने के कृत्य को दण्डनीय अपराध घोषित कर सकते हैं ।

27. स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि जैसे संस्थानों में विद्यार्थियों के बीच समाजसेवी संगठनों आदि द्वारा जागरूकता फैलाकर नदियों में शवों को प्रवाहित किये जाने की परम्परा को धीरे–धीरे समाप्त किया जा सकता है ।

28. स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि के पाठ्यक्रमों में शवों को नदियों में प्रवाहित किये जाने के विरुद्ध पाठ्यक्रम जोड़कर विद्यार्थियों के माध्यम से समाज को जागरूक किया जा सकता है ।

*****